

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक २२-११-७५ अपरान्ह ३ बजे जी
प्राधिकरण के कार्यालय में हुई का कार्यवृत्त ।

उपस्थिति:-

१- श्री पी०एन० चतुर्वेदी	अध्यक्ष,
२- श्री आर०आर०शाह	उपाध्यक्ष,
३- श्री आर०पी० टकरू	जिलाधिकारी- सदस्य
४- श्री वी०एन०वन्ना,	संयुक्त सचिव स्वास्थ्य शासन विभाग सदस्य
५- श्री आर०के० भार्गव	विशेष सचिव कृषि विभाग सदस्य
६- श्री जे०पी०दुबै,	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक सदस्य,
७- श्री ए०पी० चतुर्वेदी,	मैनेजिंग हाईकॉर्ट जल निगम सदस्य,
८- श्री आर०के० सिंह	सचिव, विकास प्राधिकरण।

मद सं० १ प्राधिकरण की बैठक दिनांक २५-७-७५ का कार्यवृत्त पढ़ा गया और पुष्टिकरण किया गया ।

मद सं० २ प्राधिकरण की गत बैठक में कार्यवृत्त से सम्बन्धित मदों में कार्यन्वयन का प्रगति प्रतिवेदन पढ़ा गया और अनुमोदित किया गया ।

मद सं० ३ लखनऊ विकास प्राधिकरण के संगठन उसके ढाँचे एवं अधिष्ठान तथा प्रबन्ध विषयक एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कालेज हैदराबाद के प्रतिवेदन पर विचार किया गया ।

श्री कै० दत्ता कन्सल्टेन्ट एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ हैदराबाद ने प्राधिकरण के माता, उक्त प्रतिवेदन में वर्णित विषयवस्तु स्पष्ट किया, उसके विस्तार उद्देश्य एवं आवश्यकता पर प्रकाश डाला ।

श्री आर०के० भार्गव विशेष सचिव कृषि विभाग ने निम्नलिखित

३ प्राथमिक प्रश्न उठाये :-

(अ) क्या प्रस्तुत प्रतिवेदन में, संगठन की कार्य विधि की क्रमिक अधिव्यवस्था (मैकनाइजेशन) का उल्लेख किया गया है, जो उत्तरीय बृद्धमान संगठन के लिए अति आवश्यक है ।

(ब) १:६ का अनुपात, अधिकारी प्रधान-पद्धति के विपरित, लिपिकीय स्टाफ पर निर्भर रहने के लिए विवश करता है ।

(स) यह अच्छा होता यदि रिपोर्ट में अधिकारियों एवं जनता के सम्पर्क के स्तर को स्पष्ट रूप से प्रकट किया जाता ।

अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिया कि कन्सल्टेन्ट, माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये बतों पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे ।

क्रमशः

निश्चित किया गया कि चूंकि उक्त रिपोर्ट अत्यन्त सूक्ष्म गणितज्ञान की है और उसमें महत्वपूर्ण निर्णय संनिहित हैं, अतः शीघ्र ही एक दूसरी बैठक का आयोजन किया जाये ताकि प्रतिवेदन की प्रत्येक संस्तुति पर विस्तार की साथ विचार किया जाये । सचिव विकास प्राधिकरण की विस्तृत विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिये गये । बैठक की दिनांक अद्यापि महादय निश्चित करीं ।

मद सं० ४

लखनऊ नगर के लिये इन्टीग्रेटेड शहरी विकास योजना के प्लान जिसे नगर के विभिन्न विकास कार्यों तथा आवासीय भूमि अर्जन एवं विकास मलिन बस्ती सुधार, वाणिज्यिक संस्थानों का निर्माण, जल विभाग एवं ड्रेनेज आदि कार्यों को सम्मिलित किया गया है तथा जिसकी अनुमानित लागत ११,१०१-३ लाख आरु है तथा विचाराधीन प्लान की प्रस्तावना में जिसका उल्लेख करते हुए भारत सरकार को स्वीकृतार्थ एवं सहायता उपलब्धि के उद्देश्य से प्रेषित किया गया है, पर विचार किया गया तथा विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया और उपायुक्त की प्रश्नगत धनराशि की उपलब्धि पर एतदर्थ कार्यक्रम को संशुद्ध करने तथा लागूनिष्ठ करने हेतु अधिकृत किया गया ।

मद सं० ५

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा फुल टाइम आफ अनगारन्टेड डिबेंचर (Full Time of unguaranteed Debentures) के प्रस्ताव पर विचार किया गया प्राधिकरण द्वारा अनगारन्टेड डिबेंचर फुल टाइम कार्य पर सिद्धान्त स्वरूप सहमति व्यक्त की गई । प्राधिकरण द्वारा २ करोड़ रुपये पर सिद्धान्त स्वरूप सहमति व्यक्त की गई । प्राधिकरण द्वारा २ करोड़ की आयति तक ऋण पत्रों के निर्माण को विनिश्चित किया गया ।

श्री आर० वी० भार्गव, विशेष सचिव, वित्त विभाग ने कहा कि ऋण पत्रों में प्राप्त धन का उपयोग केवल परिलक्ष्यपूर्ण योजनाओं (Remunerative Schemes) पर ही किया जाये ।

परिशिष्ट में उल्लिखित उपरोक्त संदर्भ में निम्नलिखित मदों को प्राधिकरण द्वारा अथावत स्वीकृत किया गया ।

- १- २ करोड़ रुपये की आयति तक ऋण पत्रों का निर्माण,
- २- अद्यापि विकास प्राधिकरण की स्वीकृति के सहित निम्नलिखित शक्तियों के प्रयोग पालन एवं निर्वाहन का प्रतिनिधायन, उपायुक्त लखनऊ विकास प्राधिकरण के पक्ष में किया जाये ।

क- प्रश्नगत विषयों लिये आर्डीन्स, बालीसिटर्स तथा बैंकों/बैंकर्स ।
निर्देशन बैंकों की नियुक्ति ।

ब- बान्ध हशू के खर्च जैसे बन्ध गार्डेंट्स को देय धन, कमीशन, दलाली (ब्रोकेज) एवं सालीसिटीज, बैंकर्स तथा ब्रॉकर्स की फीस तथा स्टैम्प डिविटी के भुगतान की स्वीकृति ।

स- एक निर्धारित शुल्क के भुगतान पर स्टाफ इन्क्यूबेन्स की सुवीबद्ध प्रार्थना पत्रों के प्रस्तुतिकरण (सम्बन्धित) हेतु एक निरिचत वार्षिक भुगतान पर, बैंकर्स में से किसी एक बैंकर पर सम्बन्धित प्रबन्ध हेतु दायित्व रखना ।

३- प्रकाशन के पूर्व प्राधिकरण द्वारा प्रास्पेक्टस का अनुमोदन ।

४- स्टाफ इन्क्यूबेन्स द्वारा एलायमेंट के अनुमोदन पश्चात् एलायमेंट बान्ध की प्राधिकरण द्वारा स्वीकृति ।

५- स्टाफ इन्क्यूबेन्स एवं सालीसिटीज के अनुमोदन पश्चात् प्राधिकरण द्वारा बान्ध गार्टीफिकेट के फार्म की स्वीकृति ।

६- बान्ध पर हस्ताक्षर लगाने हेतु उपाध्यक्ष के मुद्रांकित हस्ताक्षर की तथा उस पर स्टैम्प लगाने के पश्चात् सचिव द्वारा सील लगाने की स्वीकृति ।

७- ऋण पत्रों के निर्माण सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण करने के लिए उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण को अधिकृत किया जाना ।

पद सं०६

विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित भूमि निस्तारण हेतु प्रस्तावित नीति पर विचार किया गया । तथा प्राधिकरण द्वारा नवीन भूमि निस्तारण के सम्बन्ध में प्रस्तावित नीति के उद्देश्य एवं प्रयोजनों पर, कुछ संशोधनों के साथ, जो निम्नलिखित है सामान्यतया सिद्धान्त स्वरूप सम्बन्धि वाक्य की गई ।

(क) प्राधिकरण महसूस करता है कि व्यापारिक । औद्योगिक । आवासीय प्रयोजनों के लिए वाणिज्यिक लीज रेंट सर्वो उच्चतर है, जिन्हें पुनर्निश्चित किया जाय ।

(ख) सम्पत्ति के हान्यफर एवं मूटेशन के प्रकरण में प्राधिकरण महसूस करता है कि गैल ट्रीड से सम्बन्धित मामलों में मूटेशन एवं हान्यफर की शर्तें, जो प्रस्तावित की गई हैं, उन्हीं उत्तराधिकारियों द्वारा प्रकट कीता है । गैल ट्रीड के मामलों में मूल प्रीमियम तथा वर्तमान मूल्य के अन्तर का ५० प्रतिशत प्राधिकरण कोष में जमा कर मूटेशन अथवा हान्यफर की अनुमति देने से बचाये अच्छा हो, यदि ऐसे हान्यफर रेट पर कोई पूर्व निरिचत प्रतिशत प्राधिकरण में जमा करने पर, अनुमति प्रदान की जाय । यह सम्भवतः सिद्धान्त प्राधिकरण से सामान्यतः अनुमोदित होगा ।

क्रमशः

(ग) पट्टे के निस्तारण में प्राधिकरण करा, सर्वोपार्ति से ह्य प्रस्तावना की गदि कथित भूमि मगा के वृद्धत विकास कार्यक्रम हेतु आवश्यक होगि, ती कःपण की नौमि एा प्राधिकरण में स्वतः वापस की जायेगी * निकाल दिया गया ।

(द) पट्टे में निर्दिष्ट प्रयोजना से अन्था, भूमि के प्रयोग की उपधारा के सिलसिले में चीफ टाउन एन्ड कन्ट्री-प्लानिंग ने कहा कि यह उपबन्ध आवश्यक है, क्योंकि उन लोगों के लिए, जो भूमि उपयोग पट्टे में निर्दिष्ट प्रयोजन से अन्था, यहां तक मास्टा प्लान के विरुद्ध, शर्तों का उल्लंघन करते हुए करते हैं उनके लिए एक शक्ति शाली रोक होगि ।

भूखण्डों के विभाजन पर श्री आर० के० भार्गव विशेष सचिव वित्त विभाग ने, अनुमति प्रदान करने पर अपना अभिमत व्यक्त किया । किन्तु चीफ टाउन एन्ड कन्ट्री-प्लानिंग ने इसी पृथक् मत व्यक्त करते हुए कहा कि, भूखण्ड विभाजन की अनुमति कतई नहीं दी जानी चाहिए । श्री आर०के० टकर, जिला-धियागि ने कहा कि विभाजन की अनुमति तो देनी चाहिए किन्तु किसी निर्दिष्ट मीमा तक, उसके आगे विभाजन अनुमति देना उचित न होगा ।

अधिका महांदा ने निर्दिष्ट किया वृत्ति भूमि निस्तारण नीति अनेक विधिका प्रश्नों में सम्मिलित है, अतएव निम्नलिखित सदस्यों की एक उप-समिति बना दी जाये ।

१- अधिका प्राधिकरण

२- चीफ टाउन एन्ड कन्ट्री-प्लानिंग श्री ले०पी० दुर्गे,

३- जवाहरन्त सेक्रेटरी एल०एम०जी० श्री वी०एम० चन्ना,

४- उपाधिका, प्राधिकरण श्री आर०आर० शाह,

उपर्युक्त उप समिति प्रश्नगत भूमि-निति की मेटि जटिलता और वैधानिकता की जांच करेगी । भूमि निस्तारण नीति की प्रस्तावना अनुमोदन हेतु सभी सदस्यों में परिपत्रित करेगी और तत्पश्चात् उक्त रिपोर्ट शसन के अवलोकन तथा स्वीकृति हेतु प्रेषित की जायेगी ।

मद सं० ७

विकास प्राधिकरण कार्यालय ६ जगदीश चन्द्र लॉस मार्ग पर सब-रजिस्ट्रार का कार्यालय लॉस पर विचार किया गया तथा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया । निश्चय हुआ कि जनता की सुविधा एवं कार्यहित में केवल प्राधिकरण के लॉस हेतु एक सब-रजिस्ट्रार कार्यालय प्राधिकरण कार्यालय भवन में लॉस हेतु विषय सामन की प्रेषित किया जाये उपाधिका ह्य सम्बन्ध में आगामी कार्रवाई करेंगे ।

मिद सं० ८

कलिंगन सदक एवं नगर विस्तार योजना में भूमि दर्जन एवं विकास

क्याशः

कार्य हेतु वित्तीय वर्ष ७५-७६ में ५० लाख रुपयों का ऋण शासन से प्राप्त करने के मामले में विचार किया गया तथा सामान्यतया सिद्धान्त स्वरूप अनुमोदित किया गया । अध्यक्ष महाशय ने निर्देशित किया कि आगामी बैठक में प्रश्नगत विषय पूर्ण विस्तृत विवरण के साथ विचारार्थ प्रस्तुत किया जाये।

मद सं० ०९

अलीगंज सड़क एवं नगर प्रसाध योजना में शेष एम०आर्०जी०भवनों के निर्माण हेतु ₹० ३५-१६३ लाख, अवशेष ऋण शासन से प्राप्त करने के सम्बन्ध में विचार किया । निश्चय हुआ कि शासन से अवशेष ऋण ₹० ३५-१६३ लाख मांगने की अविलम्ब कार्यवाही की जाये ।

मद सं० १०

गणज में आर्थिक दृष्टि से कमजोर व्यक्तिगत हेतु अलीगंज सड़क एवं नगर प्रसाध योजना में १००० भवन बनाने हेतु बढकौ से ₹० ६० लाख का ऋण शासन की सामान्य शर्तों के साथ प्राप्त करने तथा सचिव प्राधिकरण की सम्बन्धित एग्जिन्ट पर कायम-सिल (Common Seal) लगाने एवं एग्जिन्ट लगाने हेतु अधिकृत किया जाने पर विचार किया गया तथा स्वीकृति प्रदान की गई ।

मद सं० ११

अलीगंज योजना में निर्धारित कार्य के एग्जिन्ट २ प्रतिशत प्रति भूति पर करने के विषय पर विचार किया गया ।

मैनेजिंग हायरवेयर जल निगम ने कहा कि फाहनेन्सियल हेडबुक में दिये गये उपबन्धों का पालन होना चाहिए ।

प्राधिकरण द्वारा निर्देशित किया गया कि फाहनेन्सियल हेडबुक तथा सम्बन्धित नियमों के आधार पर आगामी बैठक में आये विचारार्थ प्रस्तुत कि जाय तथा तब तक ५ प्रतिशत अर्निस्टमनी प्रथावत लिया जाय ।

प्राधिकरण ने निर्देशित किया कि आर्इटम के अनुसार ठेके की दैखने के स्थान पर सम्पूर्ण ठेके की दैखना उचित होगी क्योंकि सम्पूर्ण ठेका दैखना प्रायः जायदाद हितकर प्रतीत होगा ।

मद सं० १२

नगर के विभिन्न क्षेत्रों तथा ऐशबाग रोड पर राजेन्द्र नगर के निकट स्थित गणस्त गा-मिल की ऐशबाग में स्लाटर हाउस के निकट झिफ्ट करने की प्रस्तावना पर विचार किया गया तथा प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रस्तावना को अनुमोदित किया गया कि गा-मिल द्वारा प्रयुक्त भूमि का परिवर्तन, उक्त स्थल में बना कर उन्हें स्लाटर हाउस के निकट खाली पड़ी भूमि पर ले जाकर, किया जाये ।

दयानन्द आर्फनेज तथा महिला आश्रम की भूमि पर एक विकास योजना बनाने के सम्बन्ध पर विचार किया गया । प्राधिकरण ने निर्देशित

(६)

विषय कि मुख्य अभियन्ता प्राधिकरण के समक्ष उक्त योजना को सम्पूर्ण विवरणों के साथ प्रस्तुत करें। भविष्य में प्रस्तावित योजनाओं को पूर्ण विवरण के साथ ही प्राधिकरण में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाया करे तथा फ़रनगत विषय पर उपायकत निर्देशों के पालन के पश्चात् आगामी बैठक में विचार किया जाये।

सद सं० १४

हैदराबाद व नौबस्ता सहक योजना के विषय पर विचार किया गया प्राधिकरण द्वारा निर्देशित किया गया कि भविष्य में मुख्य अभियन्ता, प्राधिकरण की समक्ष ऐसी योजनाओं को सम्पूर्ण विस्तृत विवरणों के साथ प्रस्तुत किया जाये तथा फ़रनगत विषय पर उपायकत निर्देशों के पालन के पश्चात् के आगामी बैठक में विचार किया जाये।

सद सं० १५

हज़ारगाँव स्थित पुराने हाकखाने में शाप-काम-रेजी आफिस काम्प्लेक्स की योजना पर विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा निर्देशित किया गया कि मुख्य अभियन्ता द्वारा प्राधिकरण के समक्ष सम्पूर्ण विस्तृत विवरणों के साथ में विषय आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाये।

सद सं० १६

स्टेशन रोड क़ितवापुर पर शाप-काम रेजीडेंस काम्प्लेक्स के निर्माण हेतु राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण प्राप्त करने के विषय पर विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा निर्देशित किया गया कि मुख्य अभियन्ता प्राधिकरण के समक्ष विस्तृत विवरणों के साथ आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत करें। उपाध्यक्ष सभी योजनाओं के लिये ऋण के लिये बैंकों से बातें करते रहें।

सद सं० १७

तुलसीदास मार्ग नक़्खाना पर, आफिस काम्प्लेक्स के निर्माण हेतु भूमि प्राप्त करने पर विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा निर्देशित किया गया कि मुख्य अभियन्ता, प्राधिकरण के समक्ष पूर्ण विवरण के साथ फ़रनगत विषय आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत करें। बैंक से ऋण बातें जारी रहें।

सद सं० १८

आर०टी०डी० आफिस लाटूश रोड पर शाप-काम-रेजीडेंसियल काम्प्लेक्स के निर्माण हेतु, भूमि प्राप्त करने पर विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा निर्देशित किया गया कि मुख्य अभियन्ता, प्राधिकरण के समक्ष आगामी बैठक में उक्त योजना को सम्पूर्ण विस्तृत विवरणों के साथ प्रस्तुत करें।

सद सं० १९-

मक़बरा अमजद अली शाह में शाप-काम-रेजीडेंसियल काम्प्लेक्स के निर्माण हेतु राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण लेने की अनुमति पर विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा निर्देशित किया गया कि मुख्य अभियन्ता, प्राधिकरण के समक्ष उक्त योजना को सम्पूर्ण विस्तृत विवरणों के साथ आगामी बैठक में प्रस्तुत करें। बैंक से ऋण बातें जारी रहें।

सद सं० २०-

२५ पी०एम० टी० मिलिट्री डिपार्जल की बूटों को क्या किये जाने के विषय पर विचार किया गया तथा विचार प्राधिकरण के प्रयोग हेतु प्रशासक।

क़मज़ः

उपाध्याय की स्तदर्थ स्वीकृति दिनांक ५-५-७५ के सन्दर्भ में केवल ५ बूकों के क्रम हेतु १,८०,२०५।-६० के परिचय की स्वीकृति प्रदान की गई ।

पद सं० २१

नगर के मुख्य मार्गों पर एकरूपता लाने हेतु रंग-जोगन एवं अग्रभागों की परामत करने की विषय पर विचार किया गया । तथा सम्बन्धित अध्यादेश की धारा १२ एक की उप धारा २ के अधीन उक्त कार्य का विभाग द्वारा की अधिमार्गों के खर्च पर कराने की योजना का अनुमोदित किया गया ।

पद सं० २२

उच्च प्रदेश अर्बन प्लानिंग एवं डेवलपमेंट एक्ट १९७३ की धारा ५१

(३) के अन्तर्गत प्राधिकरण की समस्त चैकों पर हस्ताक्षर करने हेतु श्री आर० कै० सिंह सचिव विकास प्राधिकरण की अधिकृत किये जाने की प्राधिकरण द्वारा औपचारिक स्वीकृति प्रदान करने पर, विचार किया गया । मैनेजिंग हायरवेटर जल निगम ने कहा कि मुख्य लेखा धिकारी को भी सचिव के साथ चैकों पर हस्ताक्षर करना चाहिए । प्राधिकरण के कार्य संचालन की सुविधा की दृष्टि से निश्चय हुआ कि प्राधिकरण की समस्त चैकों पर सचिव को हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत किया गया । सचिव हस्ताक्षर करने के पूर्व मुख्य लेखाधिकारी के हस्ताक्षर भी चैक पर ले लेंगे ।

पद सं० २३

२ वें गौड पर भूतत्व एवं खनिकर्म निर्देशालय के भवन निर्माण हेतु और जम्पलिंग गौड पर परदेशीय इन्डस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन में भवन निर्माण हेतु मास्टर प्लान में भूमि उपयोग सम्बन्धी दिने गये परिवर्तनों पर विचार किया गया । अध्याय महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि चीफ टारुन एन्ड कन्ट्री प्लानर तथा जर्नल मैनेजर परदेशीय इन्डस्ट्रियल एन्ड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन आफ यू०पी० प्रश्नगत विषय को देखें और अपना अधिमत प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत करेंगे ।

पद सं० २४

उपाध्याय की अनुमति से, श्री आर० कै० भार्गव, सचिव उच्च प्रदेश शासन स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के सहायकीय पत्र संख्या एस०-पी०।७२८०।७५ दिनांक १२-११-७५, जिमें चौक क्षेत्र में एक स्टेडियम के निर्माण हेतु खसरा नं० १ मच्छी भवन (जिसे सम्पूर्ण लुडियमपक, बा स्टेडियम तथा फागन क्रिड को दी जाने वाली भूमि, शामिल है) की भूमि प्राप्त करने की प्रस्तावना की गई, पर विचार किया गया तथा निम्नलिखित सलाहों की उप-समिति का गठन किया गया । अध्याय महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि उक्त उप समिति द्वारा प्रस्तावना पर पली प्रत्येक संबंधिता लाने के अन्तर्गत विषय प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये ।

१- सचिव, विभाग प्राधिकरण, लखनऊ ।

क्रमशः

- २- श्री जै०पी० दुबे, चीफ टाऊन एन्ड कन्स्टी प्लानर
- ३- श्री आर० कै० भार्गव, विशेष सचिव वित्त विभाग,
- ४- श्री आर० आर० शाह, उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण ।

पद सं० २५

अधिका की अनुमति से, पुराना हाकबाना स्थित ७४ भवनों, जिनमें सचिवालय के चतुर्थ श्रेणी के कार्यालय रहते थे और जिनकी सब हिमालिश किया जा चुका है, के बदले में अलीगंज गंजना के अन्तर्गत बने ७४ एक कर्मी वाले भवनों के आवन्तन के सम्बन्ध में विचार किया गया । उपाध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि प्रश्नगत भवन इस्का से प्राप्त ऋण से निर्मित किये गये हैं। उक्त ऋण की विस्तृत वाज समेत प्राधिकरण को अदा करनी पड़ती है। अतः इन्हे राज्या सम्पत्ति अधिकारी के निर्वर्तन पर रैन्ट फ्री नहीं किया जा सकता । प्राधिकरण द्वारा उपाध्यक्ष के सुझाव पर सहमित व्यक्त करते हुए निम्नलिखित प्रस्तावना को अनुमोदित किया गया । और एतदर्थ शासन की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए उपाध्यक्ष को निर्दिष्ट किया गया ।

१.३- इन अलीगंज बने ७४ एक कर्मी वाले भवनों को रैन्ट फ्री का अधिकार राज्या सम्पत्ति अधिकारी की प्राधिकरण को होगा ।

२- इन ७४ भवनों का स्वामित्व, जिनमें इनमें पढ़ने वाली भूमि भी होगी, विकास प्राधिकरण का होगा ।

३- इन ७४ भवनों के लिए राज्या सम्पत्ति विभाग उत्तर प्रदेश शासन से १५ प्रतिशत अर्थात् चतुर्थ श्रेणी कार्यालयों को मिलने वाले हाउस रैन्ट के आधार पर, निर्धारित रूप से प्रतिमाह भुगतान, विकास प्राधिकरण का होगा ।

ह०- राजीव रत्न शाह
(राजीव रत्न शाह)
प्रशासनिक मगर महासचिव
तथा
उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण
ल ख न उ ।

ह०- पृथ्वीनाथ चतर्वेदी,
(पृथ्वी नाथ चतर्वेदी)
आयुक्त - लखनऊ मण्डल,
तथा
अध्यक्ष विकास प्राधिकरण,
ल ख न उ ।

कार्यवाही की पुष्टि की गई

ह०- एस० कै० सरकार
३-३-७६

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक २२-११-१९७५ को विकास प्राधिकरण स्थित ६, जगदीश चन्द्र बौर मार्ग पर ३ बजे अपराह्न होगी में विचाराधीन विषयों की कार्य सूची।

- मद संख्या-१ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक २५-७-७५ के कार्य-वृत्त का पुष्पिका।
- मद संख्या-२ गत बैठक की कार्य वृत्ति के कार्यान्वयन के प्रति के विषय में आख्या।
- मद संख्या-३ लखनऊ विकास प्राधिकरण के संठन, उसके ढाँचे एवं अधिष्ठान तथा प्रबन्ध विषयक एडमिनिस्ट्रिव स्टाफ कालेज, हैदराबाद के प्रतिवेदन पर विचार।
- मद संख्या-४ लखनऊ नगर के लिये इन्टीग्रेटेड शहरी विकास योजना के प्रान की प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किये जाने पर विचार।
- मद संख्या-५ लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा फ्लोरिंग ऑफ अनगारंटेड टिवेन्वर पर विचार।
- मद संख्या-६ विकास प्राधिकरण से सम्बंधित भूमि विस्तारण हेतु प्रस्तावित नीति पर विचार।
- मद संख्या-७ विकास प्राधिकरण के कार्यालय, ६ जगदीश चन्द्र बौर मार्ग पर स्वर लिस्टर का कार्यालय स्थान का विचार।
- मद संख्या-८ एलीगंज सड़क एवं नगर विस्तार योजना में भूमि खर्च एवं विकास हेतु वित्तीय वर्ष १९७५-७६ में ५० लाख के ऋण की शासन से प्राप्त करने की अनुमति देने से सम्बंधित मामले पर विचार।
- मद संख्या-९ एलीगंज सड़क एवं नगर प्रसार योजना में शेष ४००० बी० एच० की भवनों के निर्माण हेतु ४०३५-१६३ लाख शेष ऋण शासन से प्राप्त करने के सम्बंध में।
- मद संख्या-१० स्मार के आर्थिक दृष्टि से लम्बीर व्यक्तियों हेतु एलीगंज सड़क एवं नगर प्रसार योजना में १००० भवन बनाने हेतु कुल ६०-०० लाख खर्च का ऋण अपनी सामान्य शर्तों के साथ प्राप्त करने की अनुमति देने, सचिव ४०००० के सेंट्रीमेंट पर वापस शिल लाने एवं सेंट्रीमेंट करने हेतु अधिभूत करने से सम्बंधित मामले पर विचार।
- मद संख्या-११ एलीगंज योजना में निर्माण कार्य के सेंट्रीमेंट २ प्रतिगत प्रविष्टि पर करने के विषय में।
- मद संख्या-१२ नगर के विभिन्न क्षेत्रों तथा एंगेजमेंट रोड पर एलेन्डनगर के निकट स्थित एपस हा भिा की संख्या से नगर हासस के निकट स्थित करने के सम्बन्ध में।

- मद संख्या-१३ दयानन्द स्पोर्ट्स तथा मरिना एम्प्लॉय की भूमि योजना बनाने के सम्बंध में।
- मद संख्या-१४ हजरतगंज नौवस्ता स्टेशन योजना के विषय पर विचार।
- मद संख्या-१५ हजरतगंज स्थित पुराने गलवाने में जाप का स्पोर्ट्स गार्म्पैक्स की योजना।
- मद संख्या-१६ सैन रोड कितवापुर पर जाप का रैलीहेन्स गार्म्पैक्स के निर्माण हेतु राष्ट्रीयकृत क्षेत्रों से भू-प्राप्त करने के विषय पर विचार।
- मद संख्या-१७ तुलसीदास मार्ग नकाश पर जापिंग गार्म्पैक्स के निर्माण हेतु राष्ट्रीयकृत क्षेत्रों से भू-प्राप्त करने की अनुमति पर विचार।
- मद संख्या-१८ एयर ०टी ०टी ऑफिस लाटूस रोड पर जाप का रैलीहेन्स गार्म्पैक्स के निर्माण हेतु भूमि प्राप्त करने पर विचार।
- मद संख्या-१९ मन्वारा लम्बव की जाह में जाप का रैलीहेन्स गार्म्पैक्स के निर्माण हेतु राष्ट्रीयकृत क्षेत्रों से भू-प्राप्त करने की अनुमति पर विचार।
- मद संख्या-२० २५ टी ०एम ०सी ० फिलोटी डिस्पोज की भूमि में कुछ भू-प्राप्त करने के सम्बंध में विचार।
- मद संख्या-२१ नगर के मुख्य मार्गों में सड़क बना कराने हेतु रंग रंगान एवं लड़ भूमि की प्राप्ति करने के सम्बंध में विचार।
- मद संख्या-२२ १० प्र० वर्कन प्लानिंग एवं विकास एक्ट १९७३ की धारा ५१(३) के अन्तर्गत, प्राधिकरण की समस्त भूमि पर हस्ताक्षर करने हेतु श्री एम० के० सिंह, सचिव विकास प्राधिकरण को अधिभूत भूमि प्राप्त की गई औपचारिक स्वीकृति देने पर विचार।
- मद संख्या-२३ २ वें रोड पर, भू-प्राप्त एवं निर्माण निदेशानुसार के भवन निर्माण हेतु एयर लम्पिंग रोड पर, प्रेसीडेंट इन्डस्ट्रीयल एवं इन्वैस्टमेंट कॉर्पोरेशन के भवन निर्माण हेतु, भू-प्राप्त के सम्बंधी मास्टर प्लान में दिये गये परिवर्तन पर विचार।
- मद संख्या-२४ लच्छा मण्डल की अनुमति से नई अन्य विषय

विशेष:- उपरोक्त धारा ५१ की मद संख्या ३ से ६ नीति विषय है, माननीय सदस्य इन मदों पर विशेष ध्यान देने की कृपा करें।

भद सं०-१

प्राधिकायण की बैठक दिनांक २५-१०-७५ की बैठक की पुष्टि
की जाया।

मद सं०-२

गत बैठक में कार्यवृत्त के कार्यान्वयन की प्रगति के सम्बंध में आख्या
प्राधिकरण में सचवा प्रस्तुत की जायगी।

Agenda Item No. 3

Report of Administrative Staff College of India,
Hyderabad on " Organization, Structuring and Managerial
Manpower Planning."

...

Following a request from the Lucknow Development Authority, The Administrative Staff College of India, Hyderabad conducted a study of the Lucknow Development Authority on " Organization, Structuring and Managerial Manpower Planning". The report has been submitted and is placed as annexure 3(a). The credentials of the Staff College and its Consultants are enclosed 3 (b). The report may be perused and approved. Their report on " Performance Budgeting in L.D.A." shall be put up separately in the next meeting.

(R. R. Shah)
Vice - Chairman
Lucknow Development Authority.

...

लखनऊ शहर भारतवर्ष के सबसे पनी आबादी वाले प्रांत की राजधानी है। इसकी आबादी १० लाख के लगभग पहुंच चुकी है। अगर अभी से इसकी जनसंख्या को देखते हुये आवश्यक सुधार कार्यों के लिये प्रयत्न आरंभ नहीं किये जाते हैं तो जल्द ही यह शानदार शहर मलिन वस्तियों का समूह बनकर रह जायेगा।

इसलिये शहर के पूर्ण विकास हेतु एक इन्टीग्रेटेड शहरीय विकास योजना प्रस्तावित की गई है जिसकी अनुमानित लागत रु० ११,१०१-३ लाख आई है। इसमें विभिन्न विकास कार्यों को सम्मिलित किया गया है। जैसे आवासीय कार्यों हेतु १७००-०० लाखरुपया, भूमि अर्जन एवं विकास हेतु ५८४६-०० लाख रुपये, मलिन वस्ती सुधार हेतु १७५०-०० लाख रुपये, १७६० लाख इन्वायामेंटल सुधार हेतु, व्यापारिक संस्थानों के निर्माण हेतु ५८०-०० लाख रुपये, ट्रेफिक तथा ट्रांसपोर्टेशन हेतु ५८६-०० लाखरुपये, जल वितरण हेतु ५५८-०० लाख, ट्रेनेज तथा परिवहन के लिये १०६५-०० लाख रुपया तथा सेनेटेशन एवं गलिन सिविल हेतु १०५-०० लाख रुपया का प्राविधान रखा गया है। इसका वितरण इस इन्टीग्रेटेड शहरीय योजना की प्रस्तावित योजना में प्रस्तावना में दे दिया गया है। यह योजना उच्च प्रदेश सरकार के माध्यम से भारत सरकार के पास विकासार्थ एवं स्वीकृतिार्थ भेज दी गई है ताकि भारत सरकार ने इस योजना में वर्णित कार्योंके लिये सहायता उपलब्ध हो सके। अनौपचारिक रूप से इसकी एक प्रति विश्व बैंक के प्रतिनिधि जब सितम्बर, १९७५ में यहां आये थे तब उनकी भी देदी गई थी। यह प्लान विकास प्राधिकरण के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

Agenda Item No. 5

Subject:- Floating of unguaranteed Debentures
by the Lucknow Development Authority.

The five year action programme (1975-81) of the Lucknow Development Authority contemplates a vast spectrum of activities-- Land Acquisition and Development, (page 25 & 26 of I.C.D.P. may be persued), Construction of commercial Complexes (page 72 A of I.C.D.P. may be persued), Housing activity and other fields. In order to achieve this time bound programme an Integrated City Development Plan has been framed, in accordance with Section 7 of the U.P. Urban Planning and Development Act 1973(II of 1973).

Under this programme the cost of Land Acquisition is estimated to be Rs. 56.4 crores forwhich Rs. 3.82 crores loan has been proposed as Seed Capital. For construction of Commercial complexes we require Rs. 7.81 crores. In the plan it has been proposed to take a loan of Rs. 2.66 crores as Seed Capital out of which Rs. 95 lakhs have already been sanctioned by the Central Bank of India. Thus we required Rs. 1.71 crores for Commercial Complexes. In the housing programme the total outlay is Rs. 17.04 crores and a sum of Rs. 7.42 crores is required as loan. Thus it can be seen that a sum of Rs. 12.94 crores is necessary as Seed Capital and only by loans can the objectives of the FiveYear Action Programme mentioned above be achieved.

Under the provisions of Section 20(i), (b) read with sub-section(5) of the U.P. Urban Planning and Development Act 1973, the Authority is empowered to borrow money by way of ~~offe~~ debentures from sources otherthan the Government. It is, therefore, proposed that the Authority may consider:-

- (i) the floating of debentures to the extent of 3 crores.

- (ii) delegating the following powers to the Vice Chairman, Lucknow Development Authority, with the approval of the Chairman, IDA in respect of:-
- (a) power to appoint auditors, solicitors and bankers/brokers/Managing Banker to the Issue,
 - (b) power to approve Bond Issue expenses such as the amounts for underwriters, Commission and Brokerage as also other fees to the Solicitors, Bankers and Brokers and for payment of Stamp duty,
 - (c) power for entrusting management of the Issue after Allotment to one of the Bankers on a fixed annual payment, for submission of listing applications, to the stock exchange on payment of prescribed fees.
- (iii) approval of prospectus by the Authority by circulation before publication.
- (iv) approval of Allotment Bonds by the Authority after the allotment is approved by the Stock Exchange, to be done by circulation,
- (v) Approval of Bond certificate Form by the Authority after it is approved by the Solicitors and the Stock Exchange. To be done by circulation to enable it to be printed,
- (vi) Approval for getting the Vice Chairman's signatures printed and for ~~Secretary~~ signing the Bond and affixing the seal thereto by the Secretary after they are stamped,
- (vii) authorising ^{the} Vice Chairman to complete all other formalities required for the floating of unguaranteed debentures.

sd/- R. R. Shah
VICE CHAIRMAN,
LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY,

विकास प्राधिकरण की कार्य सूची का आइटम नं० 6
भूमि निस्तारण नीति क्यों ?

भूमि निस्तारण नीति के उद्देश्य एवं विशेषताएँ :-

- प्रचलित भूमि निस्तारण नियमों के स्थान पर जन साधारण की संयोजित आप टैन्डोर को सुरक्षित रखते हुए एक नीति प्रस्तावित की गई है, जो अब तक नहीं थी उसकी विशेषताएँ निम्न प्रकार से हैं :-
- (1) विभिन्न प्रकार के प्रचलित पट्टों की भिन्नताओं को दूर करके एक समान रूप देना ।
 - (2) आर्बिट्रन नीति में अद्वैत की जगह पर एक मेकनिकल प्रिसंपल कायम करना ।
 - (3) गत अनेक वर्षों से चले आ रहे भूमि के मूल्य हेतु प्रचलित प्रीमियम एवं लीज रेंट्स को अप टू डेट करना ।
 - (4) व्यापारिक तथा आदयोगिक लीज रेंट्स, कमर्शियल रिटर्न पर आधारित हैं ।
 - (5) अभी तक पट्टे के नवीनीकरण के समय लीज रेंट्स बाजार भाव के अनुसार करने की व्यवस्था नहीं थी, किंतु प्रस्तावित नियमों में नवीनीकरण के समय लीज रेंट अप टू डेट करने की व्यवस्था की गई है ।
 - (6) पट्टे के अधिकारों का ट्रान्सफर करना, सेल डीड तथा मार्टिगेज (इहनामा) पर रखा गया है, किंतु गिफ्ट (हिबानामा) एवं लीज (पट्टा) के लिए ट्रान्सफर का अधिकार नहीं रखा गया है ।
 - (7) प्रस्तावित नियमों में लीज होल्ड राइट्स/में के ट्रान्सफर प्राप्त होने का साधन मानते हुए, ट्रान्सफर के समय प्राधिकरण को भूमि के बंधे हुए मूल्य का, भागीदार बनाया गया ।
 - (8) अभी तक निर्धारित अवधि के निर्माण न करने पर भूमि प्राधिकरण को स्वतः वापस हो जायेगी, कोई नियम नहीं था । अब प्रस्तावित नियमों में यह रखा गया है कि निर्धारित अवधि के अंदर निर्माण न होने पर, भूमि प्राधिकरण को स्वतः वापस हो जायेगी तथा वह भूमि भी जो नगर की विकास योजनाओं के लिए आवश्यक होगी प्राधिकरण को, यथा समय, स्वतः वापस हो जायेगी ।

उपरोक्त नीति की प्रस्तावना करते समय इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि लीज होल्ड राइट्स को प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक चैट्टा एवं उत्साह में किसी प्रकार की कमी न आ जाय तथा जन साधारण के लीज होल्ड राइट्स पर कोई बुरा असर न पड़े ।

नवीन पट्टे :-

(क) व्यापारिक

1- आर्बिट्रन - केवल नीताम द्वारा आर्बिट्रित किये जायं ।

(2)

- 2- प्रीमियम - प्रीमियम नीलाम द्वारा निर्धारित किया जाय ।
- 3- अवधि - पट्टे की अवधि 30 वर्ष की, प्रत्येक तीस वर्ष पर दो बार नवीनीकरण की वक़्तना के साथ होगी ।
- 4- लीजरेन्ट - प्रीमियम का 5 प्रतिशत तथा पट्टे प्रत्येक नवीनीकरण के समय अथवा उसके उत्तराधिकारी द्वारा तब समय प्रचलित बाजार भाव अथवा मूल प्रीमियम का दस प्रतिशत जो भी अधिक हो, के अनुसृत लीजरेन्ट निश्चित किया जायेगा ।
- 5- अधिकारों का हस्तान्तरण एवं नामांकन - पट्टों के अधिकारों का हस्तान्तरण एवं नामांकन प्रचलित उत्तराधिकार के विधान (Law of Succession) के अंतर्गत स्वीकृत किया जाय । इस प्रकार बनामा या सेल डीठ संव रहन या मॉर्टगेज की अनुमति प्रदान की जाय ।
हिबा (Hiba) और पट्टा (Lease) का अधिकार नहीं होगा । सेल डीठ या बनामा पर उपबंध यह होगा कि सेल डीठ की दशा में क्रय स्वयं विक्रय मूल्य के अंतर का 50 प्रतिशत हस्तान्तरण शुल्क के रूप में मूलआबंटों के अदा कर देने पर ही ऐसी अनुमति प्रदान की जायेगी परंतु विक्रय मूल्य का निर्धारण उपाध्क्षा प्राधिकरण अथवा उनके द्वारा निर्दिष्ट अधिकारी करेगा । भूखंड निर्मित होने की दशा में हस्तान्तरण के समय भूमि के उपसम हेतु पृथम से प्रयास किया जाय कि रजिस्ट्रेशन के समय समुचित प्रतिशत प्राधिकरण को प्राप्त हो
- 6- भूखंडों का विभाजन - भूखंडों के विभाजन की अनुमति स्तदर्थ नियमों के अंतर्गत उपाध्क्षा द्वारा निर्दिष्ट शुल्क लेकर दी जा सवेगी ।
- 7- पट्टी का निरस्तीकरण - पट्टी का निरस्तीकरण निम्न दशाओं में किया जा सवेगा :-
लीज कंठीशंस का उत्संधन - - - - यथा लीजरेन्ट का समय से न अदा किया जाना, लीज अवधि का समप्त हो जाना व भूमि का दुरुपयोग अथवा निर्धारित उपयोग के लिये प्रयुक्त न किया जाना इत्यादि । इसके अतिरिक्त प्राधिकरण की किसी विकास योजना अथवा सार्वजनिक हित की आवश्यक योजना के निमित्त किसी भी पट्टे की भूमि 6 माह की नोटिस के पश्चात् तथा किसी भूखंड पर पट्टे की रजिस्ट्री होने के तीन वर्षों के अंदर निर्दिष्ट निर्माण न करने पर संबन्धित भूमि स्वतः प्राधिकरण को संपत्ति हो जायेगी ।
- 8- पट्टी का नवीनीकरण - पट्टे का नवीनीकरण किया जाय यदि उक्त पट्टे पर उपरोक्त उल्लिखित निरस्तीकरण की स्थिति या प्रभाव न डालती हो ।

(ख) आदयौगकि -

1- आर्केन - समर्थित नीलाम द्वारा किया जाय किंतु पुनर्वास के प्रकार

में तथा छत्ता द्वारा निर्धारित प्रचलित प्रीमियम एवं लीज रेंट की दृष्टिगत करने किया जायगा।

२-प्रीमियम:- सामान्यतः नीलाम द्वारा निर्धारित किया जाय किन्तु पुर्नवास प्रारण में फर्लोर रेंट, लीज मूल्य तथा प्रीमियम मूल्य के आधार पर तथा छत्ता द्वारा निर्धारित किया जाय।

३- खर्च:- व्यापारिक पट्टों के स्थान

४- लीज रेंट:- आवन्तन के प्रथम पांच वर्षों में प्रीमियम का २ 1/५ प्रतिशत किया जाय तदुपरान्त ५ प्रतिशत प्रतिवर्षी प्रीमियम लीज रेंट किया जाय। प्रत्येक पट्टों के नवीनीकरण के समय प्राधिकारी लघुवा लसके उत्तराधिकारी द्वारा तन्मध्य प्रचलित बाजार भाव अथवा मूल प्रीमियम का दस प्रतिशत जो भी अधिक हो के अनुरूप लीजर रेंट निर्दिष्ट किया जायेगा।

५-अधिकारों का हस्तान्तरण एवं नामांकन:- व्यापारिक पट्टों के स्थान

६-भूखण्डों का विभाजन:- व्यापारिक भूखण्डों के स्थान ।

७-पट्टों का निरस्वीकरण:- व्यापारिक पट्टों के स्थान।

८-पट्टों का नवीनीकरण:- व्यापारिक पट्टों के स्थान

ग-आवासीय पट्टे:-

१- आवन्तन:- यौजनाओं के लीज के भूखण्डों का, नगर के विस्तार हुए भूखण्डों का तथा नगर के मध्य में स्थित यौजनाओं के भूखण्डों का निस्तारण नीलाम द्वारा किया जाय तथा प्राधिकरण की यौजनाओं के अन्य भूखण्डों एवं पुर्नवास हेतु भूखण्डों का निस्तारण पंजीकरण के अनुरूप लीजरी द्वारा आवन्तन कर के किया जाय।

२-प्रीमियम:- नीलाम लीजरी के भूखण्डों का नीलाम द्वारा प्रीमियम निर्धारित किया जाय।

यौजनाओं के अन्य भूखण्डों का संभाव्य प्रीमियम हेतु यौजना की स्वीकृति के समय प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाय। पुर्नवास के भूखण्डों के लिये प्रीमियम रेंट तथा छत्ता द्वारा आवश्यक्ता एवं परिस्थिति की दृष्टिगत करने हुए निर्धारित किया जायगा तथा यथा आवश्यक अछदा प्राधिकरण की औपचारिक स्वीकृति प्राप्त हो जायेगी।

३- खर्च:- व्यापारिक पट्टों के स्थान ।

४-लीज रेंट:-प्रीमियम का २ 1/५ प्रतिशत वार्षिक लीज रेंट निर्धारित किया जाय किन्तु पट्टों के प्रत्येक नवीनीकरण के समय लीजर रेंट प्राधिकरण लघुवा लसके उत्तराधिकारी द्वारा तन्मध्य प्रचलित बाजार भाव के आधार पर निर्धारित किया जायेगा।

५-अधिकारों का हस्तान्तरण एवं नामांकन:-व्यापारिक पट्टों के स्थान

-8-

- ६- पूर्णही का विभाजन - व्यापारिक पार्टी के समान ।
 ७- पार्टी का निरसीकरण - व्यापारिक पार्टी के समान ।
 ८- पार्टी का नवीनीकरण - व्यापारिक पार्टी के समान ।

(ख) गार्हैन एवं कृषि पार्टी

प्रविश्य में गार्हैन एवं कृषि हेतु धूमि के नवीन पार्टी
 न दिये जाय ।

नोट- यह नियम इस प्रस्ताव के पूर्व की विज्ञापित योजनाओं पर लागू
 न होंगे ।

ड० आर००० सिंह,
 सचिव,
 लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ

विकास प्राधिकरण के विचार एवं सीमांत हेतु प्रस्तुत ।

सिंह । -

मद संख्या ७

विकास प्राधिकरण कार्यालय में गव रजिस्ट्रार के आफिस का कार्यालय खोलने के संबंध में विचार ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण में प्रतिवर्ष लगभग १००० भूखंड तथा भवनों की रजिस्ट्री होती है । इन कार्यों में जनता एवं कार्यालय की सुविधा की दृष्टि से यह अच्छा होगा कि यदि एक गव रजिस्ट्रार का कार्यालय विकास प्राधिकरण के प्रांगण में खोल दिया जाय। इसके लिये वित्त विभाग से पत्र व्योहार करना आवश्यक है कि ताकि यह जाना जा सके कि इस पर क्या व्यय होगा और वह किसके द्वारा वहन किया जायेगा । यह संस्तुति की जाती है कि विकास प्राधिकरण इस पर कार्यवाही करने के लिये उपाध्यक्षा को अधिवृत्त कर दें ।

ह० आर०के० सिंह
२०-११-७५
सचिव,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,

विकास प्राधिकरण की बैठक की कार्य सूची का आइटम नं० :- 8

अलीगंज स्ट्रोक एवं नगर प्रसार योजना हेतु अब तक 211 एकड़ भूमि अर्जन के लिये चुकी है। इनमें (691-211) एकड़ भूमि की अर्जन शेष है साथ ही शेष भूमि को विकसित भी करना है। मुआवजे की दर स्थयोजेशन बोर्ड एवं किसानों के बीच हुए समझौते के 69.99 पैसा प्रति वर्ग फुट निर्धारित की गयी है जिसकी अनुभासिक प्राधिकरण से बढ़ते ली जा चुकी है। इस मुआवजे की दर से शेष अर्जन हेतु बकाया भूमि अर्जन व विकास पर निम्न व्यय होगा।

(1) (1) 481 एकड़ भूमि (20952360 बक्वायर फुट)
भूमि की अर्जन पर व्यय पैसा 69.99

(2) पक्के निर्माण जैसे क्यूरेटियुववेल कच्चे
पक्के भवन के अर्जन हेतु व्यय = 15/- प्रतिवर्ग फुट

₹ 1, 78, 10, 000/-

(2) उपरिष्ठ भूमि से बनने वाले भूखण्डों के

विकास कार्य पर व्यय ₹ 3/- वर्ग फुट

1, 04, 76, 180 बक्वायर फुट

₹ 3, 14, 29, 000/-

₹ 4, 92, 39, 000/-

अलीगंज स्ट्रोक एवं नगर विस्तार योजना को मार्च 77 तक पूर्ण किये जाने का प्रस्ताव है। इस योजना के अंतर्गत ₹ 0.50 करोड़ में शासन ने अब तक केवल ₹ 35 लाख का ऋण दिया है जबकि भूमि अध्याप्ति अधिकारी को भूमि अर्जन हेतु 31 लाख ₹ दिया जा चुका है तथा ₹ 15 लाख इस माह के अंत तक और दे दिये जायेगा। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा अपने श्रोतों से विकास कार्य शुरू किया जा रहा है। अर्जन की कार्यवाही तेजी से व सुचारूप से चलाने के लिए भूमि अध्याप्ति अधिकारी ने इस वित्तीय वर्ष में ₹ 60 लाख और दिये जाने की मांग की है। इस तरह ^{काफी} अमी/धन की और आवश्यकता है अतः विकास प्राधिकरण शासन से भूमि विकास एवं अर्जन हेतु 90 लाख ₹ ऋण प्राप्त करने की अनुमति प्रदान करे

अतः अलीगंज स्ट्रोक एवं नगर विविध विस्तार योजना में भूमि अर्जन एवं विकास हेतु वित्तीय वर्ष 1975-76 में ₹ 10 लाख के ऋण को शासन से प्राप्त करने की अनुमति देने से संबंधित मामला विकास प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ रेश है।

विकास प्राधिकरण की बैठक की कार्य सूची का आइटम संख्या :- 9

अलीगंज स्टूक एंव नगर विस्तार योजना में 192 एम0आई0जी0 भवनों के निर्माण हेतु 31.492 लाख का ऋण उपरोक्त स्वीकृत रू की योजना राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत हुई थी। अब तक 16.329 लाख का ऋण उपरोक्त स्वीकृत योजना के अंतर्गत प्राप्त हो चुका है जिसके अंतर्गत 48 तीन कमरे वाले भवन का निर्माण किया जा रहा है। इन भवनों की फाउण्डेशन/इस प्रकार रखी गई है कि भवनों के ऊपर फ्लोर फ्लोर बाद में बनाया जा सके फिलहाल इसमें ग्रउण्ड फ्लोर बनाया जा रहा है।

तीन कमरे वाले 48 भवनों में से 42 भवनों का निर्माण कार्य अब तक पूर्ण हो गया है और शीघ्र ही समाप्त हो जायेगा शेष 6 भवनों का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है। रू 16.329 लाख का ऋण शासन से रिलीज हुआ था उसका उपयोग हो गया है। शेष भवनों का भी निर्माण शीघ्र ही प्रारम्भ किया जाना है इस हेतु शासन से 35.163 लाख का शेष ऋण और प्राप्त करना है।

अतः अलीगंज स्टूक एंव नगर विस्तार योजना में शेष एम0आई0 जी0 भवनों के निर्माण हेतु रू 35.163 लाख शेष ऋण शासन से प्राप्त करने हेतु अनुरोध करने का मामला बैठक में प्रस्तुत है।

सिंह /*

विकास प्राधिकरण की बैठक की कार्य सूची का आइटम संख्या :- 10

असींगल स्लैब एवं नगर प्रसार योजना में हुडको से ऋण प्राप्त करके समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर व्यक्तियों के लिए 1000 एक कम-रे वाले सस्ते भवन बनाने की योजना की रूप रेखा तैयार की गयी है। इस प्रकार के भवनों के आवंटन हेतु जनता से आवेदन पत्र भी मांगे गये हैं। इन भवनों की सेल प्राइज जिसमें भूखंड का प्रीमियम भी सम्मिलित है ₹ 7000/- से ₹ 8000/- के बीच आयेगी। ये भवन केवल उन्हीं व्यक्तियों को आवंटित किये जाने का प्रस्ताव है जिनकी मासिक आय ₹ 350/- तक है। वित्तावली के समक्ष पेश की जा रही है।

योजना के कार्यान्वयन हेतु हुडको से 60.00 लाख ऋण प्राप्त करना होगा। अतः अनुरोध की जाती है कि विकास प्राधिकरण समिति 1000 आर्थिक दृष्टि से कमजोर व्यक्तियों हेतु भवन बनाने हेतु हुडको से ऋण लेने की अनुमति प्रदान करे तथा सचिव एन0डी0ए0 की एग्रीमेंट पर कामन सील लगाने एवं एग्रीमेंट हेतु अधिकृत करे।

अतः समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर व्यक्तियों हेतु असींगल स्लैब एवं नगर प्रसार योजना में 1000 भवन बनाने हेतु हुडको से 60.00 लाख स्वयं का ऋण उनकी सामर्थ्य शर्तों के साथ प्राप्त करने की अनुमति देने, सचिव एन0डी0ए0 के एग्रीमेंट पर कामन सील लगाने एवं एग्रीमेंट करने हेतु अधिकृत करने से संबंधित मामला बैंक के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

सिंह /**

विषय:- अलीगंज योजना में निर्माण कार्य के एग्रीमेंट 2% प्रतिशत प्रतिभूति पर करने के विषय में ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधीन अभियंत्रण विभागों द्वारा निर्माण के कार्य हेतु निविदा के साथ 2% प्रतिशत अग्रिम धनराशि ली जाती है तथा 3% प्रतिशत प्रतिभूति को जमा करके अर्थात् केवल 5% प्रतिशत जमा करके एग्रीमेंट कराये जाते हैं । चूंकि बड़े कार्यों में प्रतिभूति की धनराशि 5% प्रतिशत की दर से अधिक हो जाती है इसलिए ठेकेदारों के मध्य ^{अधिकतम} प्रतियोगिता नहीं हो पाती है प्रतियोगिता को अधिक बढ़ावा देने के लिए यह सुझाव है कि एक लाख या उससे ऊपर की धनराशि की निविदाओं पर अनुबंध केवल 2% प्रतिशत प्रतिभूति पर करने की स्वीकृत प्रदान कर दी जाय निश्चय ही इसमें निविदाओं की दरों में भी कमी आयेगी । प्रतिभूति शेष 8% प्रतिशत की धनराशि ठेकेदारों के प्रत्येक दिनों से काट ली जायेगी । आवास विकास परिषद में भी 2% प्रतिशत अग्रिम धनराशि/एग्रीमेंट ^{पर} किये जाते हैं जैसा कि अधिशासी अभियंता लखनऊ वॉर्स डिप्टी-जन यू०पी० आवास एवं विकास परिषद लखनऊ के पत्र क्रि.नांक 29-10-75 से स्पष्ट है जो निम्न प्रकार है :-

मूल रूप में अधिशासी अभियंता (आवास) लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित है कि इस खर्च में अनुमानित लागत के 2% (दो प्रतिशत) एग्रीमेंट मनी पर अनुबंध किया जाता है ।

ह०/- दिनेश चंद्र नौटियाल
Executive Engineer,
Works Division, I
U.P. Avas Avam Vikas Parishad.

N. SINGH/*

विकास प्राधिकरण के विद्यार्थी आख्या

74 सं० 92

विषय: नगर के विभिन्न चौक़ों तथा रेशवाग रोड पर राजेन्द्रनगर के निकट स्थित समस्त सा मिल को रेशवाग में स्लाटर हाउस के निकट शिफ्ट करने के पत्र में ।

नगर में विभिन्न चौक़ों में तथा रेशवाग रोड पर राजेन्द्रनगर में जगह जगह पर सा मिल स्थापित है जिनके निकट के आवासीय क्षेत्र के निवासियों तथा यातायात में काफी अपुविधा होती है । इस दृष्टिकोण से स्लाटर हाउस के निकट खाली भूमि पर इन सभी सा मिलों को शिफ्ट करने का प्रस्ताव है । इस स्थल पर विभाग की रेशवाग में स्लाटर हाउस के निकट एक योजना नामक एक योजना पहले ही से स्वीकृत है । इस योजना की अर्जन कार्यवाही प्रारंभ करने हेतु शासन से भूमि अध्याप्त अधिनियम की धारा ७ के अन्तर्गत आदेश प्राप्त हो चुके हैं तथा शासन ने उक्त अधिनियम की धारा १७(१) व १७(१-ए) के निर्देश भी जारी कर दिया है । योजना संबंधित संपत्ति सूची एवं वैल्यूएशन स्टीमेट आदि भी भूमि अध्याप्त अधिकारी को भेज दिये गये हैं । इस योजना में लगभग ६६ बीघा भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है ।

मास्टर प्लान में प्रश्नगत स्थल आवासीय क्षेत्र दिखलाया गया है । इस लिये इस स्थल पर सा मिल स्थापित करने में पूर्व मास्टर प्लान में इस स्थल का भू उपयोग बदलना आवश्यक है ।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि ये सम्पूर्ण भूमि बहुत नीची है । वर्षा ऋतु में यहां काफी पानी भरा जाता है । अतएव इस भूमिक का इस्तेमाल तब ही हो सकता है जब कि इसे मलवे तथा कुड़े से १५ से २० फीट पर दिया जाये । इतनी मगई के बाद यह स्थल भवन निर्माण के लिये सर्वथा अनुपयुक्त हो जायेगा । अतः इस स्थल पर मिल स्थापित करने के लिये जो उच्चतम रूप में अधिक उपयुक्त होगा क्योंकि सा मिल में अधिकतर लकड़ी रखने के लिये सिर्फ जगह की आवश्यकता होती है तथा कार्यालय इत्यादि के लिये हल्का स्ट्रक्चर बनाया जाता है । इस विषय में नगर एवं ग्राम नियोजक से भी पतासही किया जा चुका है । वह इस स्थल पर सा मिल शिफ्ट करने के लिये सक्षम है ।

भू उपयोग परिवर्तन के लिये प्राधिकरण की स्वीकृत आवश्यक है अतः इस विषय पर विकास प्राधिकरण विभाग का पत्र है ।

ह० महेश प्रसाद

ह० पी०सी०मेहरात्रा

ह० पी०सन०सिन्हा)

ह० एस०पी०गुप्ता
१७-११

लखनऊ विकास प्राधिकरण हेतु आख्या

१६६०१३

- १- विषय: अभियन्त्रण विकास
- २- विषय: दयानन्द आफर्नैज तथा महिला आश्रम की भूमि योजना बनाने हेतु ।
- ३- सारांश: मौंती नगर में भूखंड संख्या १८६ व १६० पर दयानन्द आफर्नैज तथा महिला आश्रम स्थित है इस भूमि का क्षेत्रफल लगभग २६ बीघा है । इस भूमि के बहुत थोड़े हिस्से पर भवन बना हुआ है तथा बाकी बचे हिस्से पर खेती होती है यह भूमि विकास प्राधिकरण को संपत्ति है तथा उपरोक्त दोनों संस्थाओं की क्रमशः रु० ३६६।- तथा १२५।- रु० प्रति वर्ष किराये पर उस समय तक के लिये दी गई है जबतक उक्त संस्था ही अनाथालय के रूप में इस्तेमाल करती है । इस क्षेत्र में भूमि की कीमत कुछ अधिक है तथा ये संस्थाएँ ऐसी हैं जिनका शहर के बीचों बीच रखना कोई विशेष महत्व नहीं रखता है । अतः यदि किसी तरह से इस भूमि को खाली कराकर इस भूमि को भूखंडों में परिवर्तित करके नीलाम कर दिया जाये तो विकास प्राधिकरण को लगभग ३६ लाख रुपये की आय की पक्ती है । अतः निम्न सुझाव प्रस्तुत है :

१- महिला आश्रम की सेवा गदन में इस्तार्तित कर दिया जाये

२- दयानन्द आफर्नैज की हादोंई गौड पर दुंगी के समीप स्थित अनाथालय में शिफ्ट कर दिया जाये

अथवा

दयानन्द आफर्नैज जिस भवन में है उसमें ही रहने दिया जाय तथा साथ में में थोड़ी खुली भूमि देकर बाकी भूमि के भूखंड बनाकर नीलाम कर दिया जावे । आख्या प्राधिकरणके विकासार्थ प्रस्तुत है ।

ह० प्रेम नाथ सिन्हा
४-१०-७५
नगर अभियन्ता (विकास)

विषय प्राधिकरण को अगली बैठक में विकासार्थ प्रस्तुत किया जावे ।

ह० एस० पी० गुप्ता
११-११-७५
मुख्य अभियन्ता

लखनऊ विकास प्राधिकरण हेतु आख्या

विभाग: अर्जन विभाग

विषय: हैदरागंज नौबस्ता सड़क योजना के विषय पर विचार

हैदरागंज एवं नौबस्ता सड़क योजना जिसमें मूलतः क्षेत्रफल लगभग ७२ बीघा था महापालिका अधिनियम की धारा ३५७ के अन्तर्गत राजकीय गजट में प्रथम बार दिनांक ७-८-६५ को प्रकाशित हुई थी। उक्त योजना से प्रभावित व्यक्तियों द्वारा प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई हेतु श्री अजोब अहमद भूतपूर्व सभासद की अध्यक्षता में विकास समिति कलकत्ता की उप समिति का गठन किया गया था। इस उप समिति ने अपनी रिपोर्ट दिनांक २३-१-७० द्वारा उक्त योजना में भाग परिवर्तन करते हुये निम्नलिखित अनुशंसा की थी जिसे विकास समिति ने अपने प्रस्ताव संख्या ७० दिनांक २३-२-७० द्वारा स्वीकृति किया :-

१- योजना का मानचित्र (जिवाइंज्ड ले आउट प्लान) बनाते समय इस बात का ध्यान रखा जाये कि जहाँ तक संभव हो धनी आवादी को यदि सड़क, पेनाल्टी आदि में न पड़ती हो तो, योजना से मुक्त की जाये।

२- अर्जन की कार्यवाही के समय ऐसे व्यक्तियों जिनकी संपत्तियों का कुछ भाग ही प्रभावित होता है यदि कोई संपत्ति स्वामी योजना से प्रभावित भाग बिना प्रतिकार दिये ही वह भाग महापालिका को देने को तैयार हो जाये तो उसकी संपत्ति के शेष भाग को योजना से मुक्त किया जाये तथा ऐसे संपत्ति स्वामियों से डेवलपमेंट चार्ज न लिये जाये।

३- योजना का वास्तविक चार्ज (विकास मूल्य) ऐसे समस्त संपत्तिय स्वामियों जिनकी संपत्ति योजना से पारोडा (डाइकट) रूप से लाभान्वित होती है उनसे वास्तविक डेवलपमेंट चार्ज लिया जाय जिनकी संपत्तियों अपारोडा रूप से (इनडाइकट) लाभान्वित होती है उनसे केवल २५ प्रतिशत ही डेवलपमेंट चार्ज लिया जाय।

४- विकटोरिया स्ट्रीट (तुलसीदास मार्ग) से इस योजना को कनेक्ट करने के लिये वल्लेव दास स्कूल के निकट जो निरीक्षण किया गया है तथा वे भाग जो योजना क्षेत्र में नहीं पड़ते हैं उन संपत्तियों के स्वामियों से सम्पर्क स्थापित करके सड़क बनाने का प्रयास किया जाये। यदि ऐसे संपत्ति स्वामी अपनी संपत्ति मार्ग बनाने के लिये योजना को देने के लिये सहमत न हो तो उस भाग के लिये दूसरी योजना बनाई जाये।

५- यह भी निश्चय हुआ कि जिन लोगों की जमीनें इस योजना के अन्तर्गत आती हैं और उन्होंने भी आपत्तियाँ की हैं उनकी आपत्तियों में समिति कोई बल नहीं महसूस करती है उन्हें अस्वीकृति किया जाता है तथा अन्य वैतन मकानों गृह निर्माण समिति लि० लखनऊ को जो धूमि इस योजना के अन्तर्गत आती है उसे विकास मूल्य लेका नियमानुसार मुक्त किया जाये।

(II) इसके अतिरिक्त इस विभाग द्वारा तैयार किया गया जिवाइंज्ड ले आउट प्लान एवं इकनामिका को भी विकास समिति ने अपने प्रस्ताव संख्या ३५ दिनांक २३-३-७३ तथा प्रस्ताव संख्या ५० दिनांक १६-५-७३ द्वारा स्वीकृति का लिया था।

(III) विकास समिति के उपरोक्त निर्णय के अनुसार उक्त योजना की संशोधित संपत्ति सूची तथा अर्जन प्लान आदि तैयार करा लिये गये हैं। इस परिवर्तन के साथ उपरोक्त संलग्न सूची संपत्ति सूची के अनुसार उक्त योजना के अन्तर्गत अब अर्जनीय क्षेत्रफल लगभग ५२ बीघा है। वरिष्ठ सभी आवादी भाग को योजना से मुक्त कर दिया गया है इसलिए इस योजना में कोई विस्थापित प्रभावित नहीं है।

उपरोक्त परिस्थितियों में उक्त योजना लखनऊ विकास प्राधिकरण
की विभागार्थ प्रेषित है।

ड० पी०एन० सिन्हा
६-११-७५
नगर अभियन्ता (विकास)

विषय विकास प्राधिकरण की अगली बैठक में विभागार्थ प्रस्तुत किया जाये।

ड० एम० पी० शर्मा
११-११-
मुख्य अभियन्ता

लखनऊ विकास प्राधिकरण के विचारार्थ आव्या

विभाग - अभियन्त्रण विकास

१८१०१२ विषय: हस्तार्थ स्थापित पुराने डाकघरों में शाप कम आफिस काम्प्लेक्स की योजना।

उपरोक्त स्थल पर एक शाप कम आफिस काम्प्लेक्स के निर्माण की योजना प्रस्तावित है इसके अन्तर्गत १४० दुकानें तथा ४६ आफिस काम्प्लेक्स निर्मित होंगे। योजना की भूमि नज़र की है जो कि शासन द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण को हस्तार्थित कर दी गई है। यह योजना रूपया ११६-६६ लाख की है। संयुक्त रजिस्टर, परस्थानगत निदेशालय के निर्देशानुसार ह्य योजना के कार्यान्वयन हेतु मैन्ड्रेल बैंक आफ इंडिया ने रु० ६५ लाख का ऋण देना स्वीकार कर लिया है।

अतः कृपया मैन्ड्रेल बैंक आफ इंडिया से उपरोक्त कार्य हेतु ऋण लेने की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें।

ड० पी० राम० सिन्हा
१६-११-७५
नागर अभियन्ता (विभाग)

कृपया इसे लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक के विचारार्थ प्रस्तुत करें।

ड० एस० पी० गुप्ता
१७-११
मुख्य अभियन्ता

लखनऊ विकास प्राधिकरण के विचारार्थ आख्या

विभाग:- अभियन्त्रण विभाग

१५२०१६

विषय: स्टेशन रोड खितवापुर पर शाप कम रेजीडेन्स काम्प्लेक्स के निर्माण हेतु ।

उपरोक्त स्थल पर एक शाप कम रेजीडेन्स काम्प्लेक्स की एक योजना प्रस्तावित है । यह योजना अन्य प्रस्तावित योजनाओं की भांति राष्ट्रीयकृत बैंक से ऋण प्राप्त करके ही कार्यान्वित की जायेगी ।

अतः राष्ट्रीयकृत बैंक से ऋण प्राप्त करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें ।

ह० पी०एन०सिन्हा
१६-११-७५
नगर अभियन्ता (विकास)

कृपया इसे लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत करें ।

ह० एम०पी०गुप्ता
१७-११
मुख्य अभियन्ता

लखनऊ विकास प्राधिकरण के विचारार्थ आख्या

विभाग: अभियन्त्रण विकास

77/2096

विषय: तुलसीदास मार्ग नख्खारा पर शापिंग कॉम्प्लेक्स के निर्माण हेतु।

उपरोक्त स्थल पर एक शापिंग कॉम्प्लेक्स के निर्माण की योजना प्रस्तावित है। इस योजना के अन्तर्गत निम्न प्रकार की २२६ दुकानों का निर्माण किया जाना है जिनमें से कुछ दुकानों का निर्माण लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अपने आर्थिक साधनों से प्रारंभ करा दिया है। निर्माण कार्य प्रगति पर है। श्रृंखला संयुक्त सचिव, संस्थागत निवेशालय के निर्देशानुसार योजना को पूर्ण रूप से कार्यान्वित करने हेतु राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण लेने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः योजना को कार्यान्वित करने हेतु राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण लेने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।

हो पी०एन० सिन्हा
१६-११-७५
नगर अभियन्ता (विकास)

कृपया विषय को लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत करें।

हो ए०पी० गुप्ता
१७-११-७५
मुख्य अभियन्ता

लखनऊ विकास प्राधिकरण के विचारार्थ आख्या

विभाग: अभियन्त्रण विकास

विषय: आर०टी०जी० आफिस लाटूश रोड पर स्नाप कम रेजीडेन्सियल कॉम्प्लेक्स के निर्माण हेतु ।

महसूल

आर०टी०जी० आफिस लाटूश रोड की नजूल भूमि श्रीराम आर्फनेज की शासन द्वारा पट्टे पर इस शर्त के साथ दी गई थी कि वह इस भूमि का प्रयोग केवल आर्फनेज हेतु ही करेगी । परन्तु उन्होंने इस शर्त का पालन नहीं किया वर्तमान समय में लाटूश रोड शहर का एक प्रमुख शॉपिंग सेंटर है । इस क्षेत्र की शॉपिंग समस्या को देखते हुए यह आवश्यक समझा गया कि इस प्रांगण में एक स्नापकम रेजीडेन्स कॉम्प्लेक्स की एक योजना बनाई जाय । चूंकि यह नजूल भूमि श्री राम आर्फनेज की पट्टे पर दी गई थी अतः अध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण ने दिनांक ५-६-७५ को इस नजूल भूमि को लखनऊ विकास प्राधिकरण के पदा में हस्तांतरित करने हेतु समस्त प्रकट की एवं उन्होंने यह यह निर्देश दिये कि प्रश्नगत भूमि को हस्तांतरित करने के संबंध में इस से संबंधित समस्त नियम व शर्तों को भली भांति जांच लिया जाय । यथानुसार उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण ने दिनांक १३-१०-७५ को एक बैठक बुलाई । इसमें प्रश्नगत भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण के पदा में हस्तांतरित करने के संबंध में विस्तृत रूप से निम्नलिखित विचार विमर्श हुआ । इस बैठक में श्रीराम आर्फनेज की ओर से अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट नगर भी उपस्थित थे बैठक में हुई कार्यवाही का एक प्रति उन्हें भी भेजी जा चुकी है

१- आर०टी०जी० तथा श्रीराम आर्फनेज के बीच स्थित गली को लखनऊ विकास प्राधिकरण विकसित करेगा ।

२- चूंकि श्रीराम आर्फनेज एक दानोचर संस्था है तथा इसके आय के साधन बहुत ही सीमित है अतः लखनऊ विकास प्राधिकरण उपरोक्त वर्णित गली के किनारे दुकानों का निर्माण करेगी जिसकी आय श्रीराम आर्फनेज को प्राप्त होगी । इन दुकानों का अग्रभाग (फर्नटेज) गली की ओर होगा । चूंकि श्रीराम आर्फनेज इन प्रस्तावित दुकानों के उपर अनाथाला के वच्ची के हेतु एक छात्रावास का निर्माण करना चाहता है अतः दुकानों की फाउन्डेशन की डिजाइन दुर्गजिला भवन के डिजाइन से लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा रखी जायेगी । छात्रावास का निर्माण श्रीराम आर्फनेज द्वारा निर्धारित भवन चित्र के अनुसार ही किया जायेगा तथा दृष्टिक वाटरलैक एवं छात्रावास के वच्ची की सुरक्षा को देखते हुए यह आवश्यक है कि छात्रावास का अग्रभाग वर्तमान अनाथाला भवन की ओर हो ।

३- लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा श्रीराम आर्फनेज हेतु निर्मित की जाने वाली दुकानों की संख्या, साइज तथा डिजाइन प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत से आउट नरान के अनुसार होगी ।

४- उपरोक्त वर्णित केंद्रम एवं श्रृंखला के बदले में श्रीराम आफनेज निम्नलिखित विन्दुओं पर अपनी स्वीकृति देगा :

(अ) श्रीराम आफनेज अपनी समस्त भूमि एवं उसके संबंधित नसूल भूमि जिस पर वर्तमान आर०टी०बी० स्थित है लखनऊ विकास प्राधिकरण के पक्ष में हस्तांतरित कर देगा।

(ब) लखनऊ विकास प्राधिकरण इस बात के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित गली के किनारे जो दुकानें निर्मित होगी उनका अग्रभाग भी गली की ही ओर होगा। इस प्रकार आफनेज से निर्मित की जाने वाली दुकानें तथा योजना के अन्तर्गत निर्मित की जाने वाली दुकानों का अग्रभाग एक दूसरे के आमने सामने होगा जिससे कि यह एक सुव्यवस्थित बाजार का रूप ले सके।

(स) उपाध्यक्षा, लखनऊ विकास प्राधिकरण इस प्रस्ताव पर विचार करे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा निर्माण किए जाने वाले व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स के नामकरण में उक्त आफनेज के नाम का भी समावेश हो।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा उपरोक्त की स्वीकृति वांछनीय है जिससे कि श्रीराम आफनेज के पक्ष नुसार अनुबंध किया जा सके। साथ ही साथ इस प्रांगण में शांति व सम आकृतिक कॉम्प्लेक्स के निर्माण की योजना को कार्यान्वित करने हेतु राष्ट्रीयकृत कर्षी के ऋण प्राप्त करने की स्वीकृति भी प्रदान की जावे।

सी०एन० गिन्ता
नगर अधिनियन्ता (विकास)

कृपया लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत करें।

सी० गिन्ता
नगर अधिनियन्ता,

लखनऊ विद्या प्राधिकरण के विचारार्थ आस्था

विभाग: अभियन्तृणा विद्या विभाग

विषय: मकबरा अमजद अली शाह में शाप कम रेजीडेन्सियल काम्प्लेक्स के निर्माण हेतु ।

२५२०१८

उपरोक्त स्थान पर एक शाप कम रेजीडेन्स काम्प्लेक्स की योजना प्रस्तावित है । इस योजना के अन्तर्गत २०६ दुकानें तथा ६६ आवासीय फ्लैट बनेंगे । इस योजना की अनुमानित लागत रू० ७६ लाख है । इस योजना की भूमि एवं भवन के संबंध में पुरातत्व विभाग से "No objection" प्रमाण पत्र प्राप्त करने के प्रयास किये जा रहे हैं एवं मकबरा की निवासियों ने उच्च न्यायालय में मुकदमा दायर किया है जोकि विचाराधीन है । संयुक्त सचिव, संस्थागत विद्या निदेशालय के निर्देशानुसार राष्ट्रीयकृत बैंकों से योजना को कार्यान्वित करने हेतु ऋण लेने का प्रयास किया जा रहा है ।

अतः इस योजना को कार्यान्वित करने हेतु राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण लेने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें । यह विषय उच्च न्यायालय के विचाराधीन है क्योंकि वृद्ध लोगों ने याचिका दायर का दी है ।

ह० ए०एन० सिन्हा
१६-११-७५
नगर अभियन्ता (विद्या)

कृपया इसे लखनऊ विद्या प्राधिकरण की बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत करें ।

ह० ए०पी० मुप्ता
१७-११
मुख्य अभियन्ता

२५ टी०एम०वी० मिलैट्री डिस्पोजल की टूकों को क्रय किये जाने के संबंध में ।

गद सं० २०

डी०पी०एम० एण्ड डी०, नई दिल्ली ने प्राप्त पत्र के अनुसार महापालिका तथा विकास प्राधिकरण के प्रयोग के लिये २५ टूकों को खरिदने का निर्णय लिया गया था । प्रत्येक टूक की कुल कीमत रु० ३६,०४९।- (१३ प्र०श० विक्री कर सहित) है जिसके अनुसार २५ टूकों की कुल कीमत रु० ९,०१,०२५।- होती है । सहायक अभियन्ता (ई०एण्ड एम) नगर महापालिका की आस्था के अनुसार लखनऊ विकास प्राधिकरण के प्रयोग हेतु ५ टूकों की कीमत रु० १,८०,२०५।- लखनऊ विकास प्राधिकरण की निधि से वहन किया जाना था तथा शेष महापालिका को वहन करना था जिसमें से रु० २,०६,६५१।६० पैसे विकास प्राधिकरण निधि से ऋण लेकर महापालिका को भुगतान करना प्रस्तावित था जिसकी स्वीकृति प्रशासक एवं उपाध्यक्षा महोदय ने अपने आदेश दिनांक ५-५-७५ द्वारा किया था जिसके आधार पर भुगतान कर दिया गया है जिसकी विकास प्राधिकरण से औपचारिक स्वीकृति वांछनीय है ।

ह० पी०सी०मैहरोत्रा

ह० पी०एम० सिन्हा
१४-७-७५

ह० एम०पी० गुप्ता
१५-७-

लखनऊ विकास प्राधिकरण के सुवनाथ आख्या

विभाग: अभियन्त्रण विभाग

विषय: नगर के मुख्य मार्गों में एक रूपता लाने हेतु रंग रोगन एवं अग्रभागों की परम्पत कराने के संबंध में ।

१६ स० २१

शासन के निर्देशानुसार शहर के विभिन्न क्षेत्रों में एक रूपता लाने हेतु रंग रोगन कराने एवं अग्रभागों की परम्पत कराने की एक योजना बनाई गई है । प्रथम चरण में निम्न क्षेत्रों को इस योजना के अन्तर्गत लाया जाना है :

- १- हजरतगंज
- २- लालबाग सरकाय से बसंत गिनेमा तक एवं दयानिधान पार्क से नवजीवन पुरा तक
- ३- ट्विंटेड ग्रीड ड्राइंग से कैणरबाग चौराहे तक
- ४- अमीनाबाद पार्क के सामने क्वार्टर इंगिल में स्थित सभी भवन

उपरोक्त क्षेत्रों में यह कार्य निर्धारित अवधि दिनांक ३१-१२-७५ तक पूर्ण हो जाना है ।

कार्य में एक रूपता लाने एवं निर्धारित अवधि में पूर्ण कराने के उद्देश्य से अध्यादेश की धारा १२-ए की उप धारा २ के अधीन इस कार्य का विभाग द्वारा ही अधिभोगियों के सर्वे पर करने का निर्णय लिया गया है । यदि यह कार्य अधिभोगियों द्वारा स्वयं ही कराया जा सकता है तो कार्य में एक रूपता लाना संभव न होती तथा यह भी संभावना थी कि अधिभोगियों द्वारा सीमेंट कलर के स्थान पर कलरवाश करा दिया जाता एवं निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण होना संभव न होता ।

इन क्षेत्रों के रंगों का चयन क्षेत्रों की इतिहासिक महत्ता तथा निर्माण शैली को ध्यान में रखकर ही किया गया है :

उदाहरणार्थ- कैणरबाग अपने कैसरिया रंग के लिये विख्यात है अतः इस क्षेत्र में कैसरिया रंग से मिलता जुलता मिडलीम रंग दिया गया है तथा मॉनोटनी को ड्रेक करने के लिये कुछ स्थलों पर वफ रंग का समावेश किया गया है । इसी प्रकार लालबाग में लालरंग से मिलता हुआ पिंक रंग दिया गया है एवं उस पर पीच रंग का समावेश किया गया है । निशात गिनेमा के पास हरा रंग कदिया गया है जिसमें सफेद रंग का समावेश किया गया है । हजरतगंज में सचिवालय, बड़े डाकखाने एवं पी०एम०जी० कार्यालय के रंगों से मिलता जुलता आइवरी रंग दिया गया है एवं भवनों की आकर्षक बनाने हेतु वफ, टैराकोटा तथा पिंक रंग का समावेश किया गया है । चयन के समय इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि केवल वे ही रंग प्रयोग किये जायें जो स्थानीय हों । चयन से पूर्व वर्तमान भवनों पर विभिन्न रंगों को लाकर देखा गया था तथा स्थानीय जनता से भी परामर्श किया जा चुका है ।

ह० पी०एन०सिन्हा

कंपया इसे लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत करें ।

ह० एस०पी०गुप्ता
मुख्य अभियन्ता

विकास प्राधिकरण की बैंक की कार्य सूची का आइटम नं० 22

विकास प्राधिकरण ने अपने लेखाओं के उचित रख रखाव हेतु उत्तर प्रदेश नगर महापालिका लेखा नियमों को, कल्पित संशोधनों के साथ अपना रखा है, इन नियमों के अंतर्गत नियम 37(1) में यह उपाध्य है कि महापालिका निधि से कोई भी भुगतान केवल चेक द्वारा किया जायेगा जो कि मुख्य नगर अधिकारी अथवा ऐसे अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किये जायेंगे जिसे मुख्य नगर अधिकारी द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किया गया है। बशर्त कि जहाँ देय धनराशि ₹ 5,000/- से अधिक होगी, चेके मुख्य नगर अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित की जायेंगी। उक्त नियमों के अंतर्गत प्राधिकरण द्वारा अपनाये संशोधनों में महापालिका के स्थान पर लखनऊ विकास प्राधिकरण मुख्य नगर अधिकारी के स्थान पर प्राधिकरण के उपाध्य माने गये है।

उपरोक्त स्थिति को एवं कार्य की अधिकता को ध्यान में रखते हुये प्राधिकरण के उपाध्य ने उत्तर प्रदेश अर्बन प्लानिंग एवं डेवलपमेंट सेक्ट 1973 की धारा 51 (3) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये लखनऊ विकास प्राधिकरण की समस्त चेकों पर हस्ताक्षर करने हेतु श्री आर०के० सिंह सचिव विकास प्राधिकरण को अपने आदेश संख्या 4 दिनांक 24-10-75 द्वारा प्राधिकृत कर दिया है।

चूंकि उत्तर प्रदेश नगर महापालिका लेखा नियमों के अंतर्गत ₹ 5,000/- से अधिक की चेकों पर मुख्य नगर अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर करने संबंधी अपने अधिकारों का प्रतिनिधान किसी अन्य अधिकारी के फल में किये जाने में सामान्यतः अवरोध है। ऐसी स्थिति में उपाध्य विकास प्राधिकरण द्वारा प्रतिनिधान प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत किया जाना है। उपरोक्त प्रतिनिधान कार्य संचालन की सुविधा की दृष्टि से लिये गये है। तथा लागू कर दिये गये है।

यदि अनुमोदित करें उपरोक्त आख्या प्राधिकरण के समक्ष स्वीकृति प्रेषित करने का कष्ट करें।

ह०/- वि०हु० कजनी
मुख्य लेखा अधिकारी 12/11-75

प्राधिकरण के समक्ष स्वीकृति रखा जाये।

ह०/- आर० के० सिंह/आर०आर०शाह
सचिव 13/11 उपाध्य 19/11

उपाध्य/सचिव के
आदेश

कार्य सूची का अंक नं० 23
=====

2 वे रोड पर भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के भवन निर्माण हेतु और जापलिंग रोड पर प्रदेशीय इंडस्ट्रियल एवं इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन के कार्यालय के भवन निर्माण हेतु मास्टर प्लान में दिये गये भू-उपयोग के परिवर्तन के संबंध में ।
=====

2 वे रोड पर भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के भवन निर्माण के संबंध में लेण्ड यूज परिवर्तन किये जाने से संबंधित मामला विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 2-4-75 में रखा गया था । उक्त बैठक में उपरोक्त लेण्ड यूज में परिवर्तन किये जाने का निर्णय लिया गया था परन्तु इस बीच आयुक्त एवं सचिव उद्योग अनुभाग-2 ने आयुक्त लखनऊ मंडल से अपील की है कि उपरोक्त लेण्ड यूज में परिवर्तन पर पुनः विचार किया जाय ।

निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म के अनुरोध पर तथा सचिव स्वायत्त शासन निवास अनुभाग - 3 के पत्र द्वारा भी विकास प्राधिकरण में पूरे वे रोड को कार्यालय हेतु सुरक्षित करने हेतु अनुरोध किया गया । संयुक्त सचिव, उ०प्र०, शासन द्वारा भी पत्रानुसार यह मामला पुनः प्राधिकरण की बैठक में रखने का अनुरोध किया गया है । इस संबंध में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक ने भी अपनी क्विचुत टिप्पणी भेजी है (प्रतिलिपि संलग्न) ।

अतः उपरोक्तानुसार भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के भवन निर्माण से संबंधित लेण्ड यूज में परिवर्तन किये जाने का मामला मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक द्वारा दी गयी टिप्पणी के साथ विकास प्राधिकरण की बैठक में पुनः विचारार्थ प्रस्तुत है ।

इसी प्रकार जापलिंग रोड पर लेण्ड यूज में परिवर्तन किये जाने से संबंधित प्रदेशीय इंडस्ट्रियल कारपोरेशन उत्तर प्रदेश का प्रार्थना-पत्र भी संलग्न है जो अपनी कार्यालय भवन जापलिंग रोड पर बनाना चाहते हैं ।

उप सचिव उ०प्र० शासन के निवास विभाग के पत्र सं० 3474-373-84 निवास/73 दिनांक 2-8-73 जो मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक उ०प्र० लखनऊ को संबोधित है (प्रतिलिपि संलग्न) के द्वारा प्रदेशीय इंडस्ट्रियल एवं इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन को कार्यालय के भवन निर्माण हेतु जापलिंग रोड पर स्थित क्षेत्र के भू-उपयोग का परिवर्तन किया जाना स्वीकार कर लिया है । उप सचिव के उपरोक्त पत्र के साथ जिसमें शासन ने उक्त क्षेत्र के भू-उपयोग को बदल दिये जाने का निर्णय ले लिया है । यह मामला विकास प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रेषित है ।

कार्यालय मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
लखनऊ, लखनऊ ।

पत्र सं० / 22टीपी/लखनऊ/निदेशालय/टीसीपी/75 दिनांक

संयुक्त सचिव,
न्यास अनुभाग 3
सचिवालय,
लखनऊ ।

विषय:- 2 वेकॉर्ड पर भूतत्व एवं सैनिक निदेशालय के भवन निर्माण के संबंध में ।

महोदय,

कृपया आप के पत्र सं० यू०ओ० 196/37/2/827 एम०के०बी०/75 ~~सं०~~
~~सं०~~ दिनांक 25-7-75 के संदर्भ में मुझे यह कहना है कि लखनऊ महायोजना के अनुसार
जशीक मार्ग पर सरकारी कार्यालय के लिए 96 एकड़ भूमि निर्धारित की गयी थी जिसका
बाधे से ज्यादा भाग जावासीय क्षेत्र के लिए उपयोग किया जा रहा है । इसी क्षेत्र में
कार्यालय के लिए जन रीडीबहुमंजला बिल्डिंग के पास की छोटी भूमि जो भूतत्व में
अव्यक्त कार्यालय के भवन के निर्माण के लिए सुरक्षित की गयी थी । इस भूमि को
जब टी०वी० सेक्टर तथा स्टेट गेज हाउस तथा जॉर्जियन रेस्ट हाउस को दे दी गयी है ।
जिसमें क्रमशः 8.75 एकड़ तथा 3.83 एकड़ भूमि है । अतः इस क्षेत्र में कार्यालय
के लिए छोटी भूमि प्रायः समाप्त ही गयी है ।

इस क्षेत्र से लगा हुआ क्षेत्र जो जशीक मार्ग पर नेशनल जेटिफिकल गार्डन
के सामने तथा उसके पीछे के रोड के दोनों तरफ का भाग लखनऊ महायोजना में
जावासीय क्षेत्र है जो उस क्षेत्र में कई सरकारी कार्यालय खूब गये है । ~~यही~~ यही
भवन मुख्य रूप से जावासीय रहे हैं लेकिन जॉर्जियन की आवश्यकता तथा उंचे किराये
के कारण इसका उपयोग परिवर्तित हो रहा है । यह एक काफी शोचनीय समस्या है ।
निश्चय ही कार्यालयों के लिए जोर जगहों की आवश्यकता है लेकिन उपलब्ध जगहें
काफी कम है । इस प्रकार इस क्षेत्र के ऊपर परी की कार्यालय में परिवर्तित करने का
प्रभाव है । अतः इस क्षेत्र को जो कि 51 एकड़ है जावासीय से सरकारी कार्यालय
के भू उपयोग में बदल देने पर ऐसा सम्भव है सदैम कि यह जगह कार्यालय के
~~भू उपयोग~~ क्षेत्र में जा जायेगी जोर वर्तमान आवश्यकताये पूरी हो सकेगी ।

इस क्षेत्र के सामान्य जलसिंचन री. के दोनों तरफ का क्षेत्र करीब 16-66 एकड़ भी कार्यालय में परिवर्तित कर दिया जाय तो सभावतया स्थिति बेहतर होर सुधर जाये, फिर भी यह एक अंतिम उत्तर न हो सकेगी और जब तक सरकार अडे स्केल में कार्यालय की आवश्यकता नहीं पूरी कर सकेगी। परिवर्तन करता रहना पड़ेगा। जो महायोजना के प्राप्त सर्व उपयोग के लिए बुरा प्रभाव डालेगा। इस क्षेत्र में एक की चौड़ाई भी कम है और इनकी चौड़ाई भी बढ़ानी पड़ेगी।

इन दोनों क्षेत्र का विस्तृत प्लान तथा इसकी महायोजना पर जंकित कर उचित कार्यवाही हेतु संलग्न किया जा रहा है।

संलग्न एक मानचित्र

भवदीय

ह० जप०नीय

(जयंती प्रसाद दुबे)

मुख्य नगर एवं ग्राम निवाजक

पत्र सं० 8622/उपरिष्ठ

दिनांक: 18-8-75

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं उचित कार्यवाही हेतु -

- (1) उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
- (2) निदेशक, भूत० एवं सन्निवृत्त निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।

ह० जप०नीय

(जयंती प्रसाद दुबे)

मुख्य नगर एवं ग्राम निवाजक

दि प्रदेशीय इन्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट
कार्पोरेशन आफ यू०पी० लिमिटेड

PICUP

THE PRADESHIYA INDUSTRIAL
AND INVESTMENT CORPORATION

टैलेक्स: 033- 274

तार: पिकप

फोन : 23015, 23213,
23451, 26278

(A.U.P. Government Undertaking Regd. Office: Lucknow-226001

8, Vivekanand Marg,
Lucknow-226001

OF U.P. LTD.

Telex : 033-274

Telegram : PICUP

Telephones : 23015, 23213,
23298, 23451, 26278

Our ref: SEC/6/3/72/7751

Dated: Nov. 14, 1975

The Vice Chairman,
Lucknow Development Authority,
LUCKNOW.

SUB: Change in land use of Plot NO. 12
at Jopling Road, Lucknow.

Dear Sir,

We wish to invite your attention to our letter no. SEC/6/3/72/4798, dated July 22, 1975 on the above noted subject (copy enclosed for ready reference).

As we have already stated, we have purchased the plot in question and have not been able to start construction of building so far only in the absence of permission for change of land use. Before selecting the land in question which is located at Jopling Road, we had made all possible efforts to find a suitable plot in areas which have been declared as commercial areas but having failed to do so, purchased the plot in question.

There are more than 18 Government and private offices located in the vicinity of the plot in question including the offices of the Sales Tax Commissioner, U.P. Bridge Corporation, Directorate of Agriculture and Department of Family Planning, Mineral Exploration Corporation, Directorate of Economic & Statistics, Geological Survey of India etc. We are enclosing a rough sketch map of the area indicating our plot as well as the important offices located in its vicinity from which it would be seen that the area in question already has been a large number of offices.

We would also request you to consider the fact that there is acute scarcity of accommodation in Lucknow, specially commercial accommodation and a large number of Government and private offices (Including ours) are located in building meant for residential purposes. The building which we are proposing to construct on the Jopling Road plot would not only solve our own office accommodation problem by providing commercial accommodation but solve to some extent the problem of non-availability of commercial accommodation in the city.

We are paying a very high rent for our present building and would like to start construction of our own building as early as possible. We would, therefore, request you to kindly consider our request favourable and to issue necessary orders in this regard at the earliest.

Thanking you,

Encl:

Two - As above.

Yours faithfully,

Sd/ illegible

(R. S. MATHUR)

Joint Managing Director.

विनास प्राधिकरण के विचारार्थ आख्या

विभाग:- कूल विभाग

विषय:- सैडिया के निर्माण हेतु बंजर क्षेत्र में भूमि की भांग।

विषयसू:- श्री आर० ए० आर०, सचिव उत्तर प्रदेश शासन स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के सर्वसाधारण पत्र संख्या एस०पी०।७२५०।७५ दिनांक १२-११-७५ जिसमें बंजर क्षेत्र में स्थित भूमि पर सैडिया निर्माण करने हेतु प्रस्तावना की गयी है पर ध्यान देकर इसका निरीक्षण किया गया। वि उक्त पत्र के साथ संलग्न मानचित्र की भूमि संख्या नम्बर १ पौडला भूखे भवन वन्दावस्त १५६२ से सम्बंधित है। यह कूल भूमि है। यह बंजर भूमि है जिसमें सम्पूर्ण सर्वेक्षण पार्क, वर सैन तथा फायर ब्रिड की जगहवाली भूमि है। सर्वेक्षण पार्क की भी सर्वेक्षण उपर्युक्त भूमि विनास प्राधिकरण द्वारा पुनः वापस लिये जाने पर विचार किया जा रहा है। शासन से पत्र व्यवहार किया जा चुका है। सर्वेक्षण पार्क की भी भूमि सार्वजनिक उपयोग एवं स्थित एवं इसके हुए अव्यक्त प्राधिकरण प्रस्ताव जारी है लिये देना उचित न समझें। अतएव प्राधिकरण की विचार एवं आदेश हेतु विषय प्रस्तुत करने के लिये यदि उचित समझें आदेश प्रदान करें।

ह०।
उप नर अधीक्षक
२१-११-७५

सम्बंधित सर्वसाधारण पत्र पर उपाय चला कर दिया गये आदेश दिनांक ११-११-७५ के अनुसार इस विषय में कार्य सूची दिनांक २२-११-७५ सम्मिलित किया जाय।

११/११/७५
सचिव

Copy of D.O.No. 5P/7282/75 Dated : November 12, 1975
From : Sri R.A. Bhargava, Secretary, Uttar Pradesh Shiksha, Sports Department
To :- Sri R.R. Shah, Vice-Chairman, Lucknow Development Authority, Lucknow.

...

My dear Rajiv,

I am enclosing a site plan of the proposed grounds in the Chowk area for construction of a stadium. I shall be grateful if you could kindly put up this matter in the next meeting of the Lucknow Development Authority so that the land could be transferred to the Sports Department which would take up the construction of the proposed stadium.

2. In case you would like to make some changes in the plan I may be informed so that the Director of Sports and the Assistant Engineer could come up to you for discussion and finalisation of the matter.

3. I shall be grateful for a very early response from your side.

With kind regards,

Yours Sincerely,

Sd. R.A. Bhargava

Sri R.R. Shah,
Vice-Chairman,
Lucknow Development Authority
Lucknow.

Encl: Site Plan

D.O.No. (i) of date

Dear Sri Bhiman,

I send you a copy of the above for your information and necessary action. A copy of the site plan is also enclosed.

Yours sincerely,

Sd. R.A. Bhargava

Sri P.R. Vyas Shiman
Commissioner & Secretary
U.S.G. Department, Lucknow,

Encl: as stated.

...